न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट नं०– 2, लखनऊ।
पीठासीन अधिकारी–राम प्रकाश पाण्डेय (एच०जे०एस०)
प्रकीर्ण सिविल वाद सं०–59/2026
UPLK190001822026

M/S SAHAKAR GLOBAL LIMITED, A Company registered under the Companies Act, 2013, Having its registered office at 503, Vastu Prestige, Off new Link Road, Sudervan Complex, Shastri Nagar, Andheri West, Mumbai–400 053, Through its Authorised Signatory, Sri Stephan Lobo.

.....Applicant/Claimant

VERSUS

UTTAR PRADESH EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, A Statutory body established under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, having its principle office at 2nd Floor, Paryatan Bhawan, C–13, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow–226 010 Through its Chief Executive Officer.

.....Respondent

याचिका अंतर्गत धारा–29 ए (4) एवं (5), माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996

निर्णय

1. प्रस्तुत याचिका ए–3 मय शपथ पत्र सी–4 आवेदक द्वारा अंतर्गत धारा–29 ए (4) एवं (5), माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 विद्वान मध्यस्थ अधिकरण के समादेश की तिथि दिनाँक 21.04.2026 से 12 माह तक आगे बढ़ाने हेतु दायर की गई है।

2. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र सी–8 प्रस्तुत करते हुए विद्वान मध्यस्थ अधिकरण के समादेश की तिथि दिनाँक 21.04.2026 से 12 माह तक आगे बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

3. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन तथा न्यायालय में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र सी–8 में विद्वान मध्यस्थ अधिकरण के समादेश की तिथि दिनाँक 21.04.2026 से 12 माह तक बढ़ाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई है, को दृष्टिगत रखते हुए

न्यायालय के मत में विद्वान मध्यस्थ के समक्ष लम्बित माध्यस्थम कार्यवाही का उचित निस्तारण किये जाने हेतु माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29ए (4) एवं (5) के तहत माध्यस्थम एवार्ड पारित करने के लिए दिनाँक 21.04.2026 से 12 माह तक के लिए अतिरिक्त समय विस्तार किये जाने योग्य है। तद्नुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका ए–3 अंतर्गत धारा–29 ए (4) एवं (5) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका ए–3 अंतर्गत धारा–29ए (4) एवं (5) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनिमय, 1996 तदनुसार निस्तारित की जाती है। माध्यस्थम एवार्ड पारित करने के लिए दिनांक 21.04.2026 से 12 माह तक के लिए अतिरिक्त समय विस्तारित किया जाता है। निर्धारित समयावधि के अन्दर विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम की सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी की जावे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–03.06.2026

(राम प्रकाश पाण्डेय)
पीठासीन अधिकारी,
कामर्शियल कोर्ट नं०–2,
लखनऊ।
आई०डी०नं० यू.पी. 5931

निर्णय व आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनाँकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–03.06.2026

(राम प्रकाश पाण्डेय)
पीठासीन अधिकारी,
कामर्शियल कोर्ट नं०–2,
लखनऊ।
आई०डी०नं० यू.पी. 5931

Digitally signed by RAM PRAKASH PANDEY
Date: 2026.06.03 15:59:35 IST
Reason: Document Owner
Location: Commercial Court No.2, Lucknow.